

29-12-21

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर
पत्रावली आज ललब की गई। प्रार्थी को
उनके आछिवमर उपलब्ध। प्रार्थी द्वारा
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि
पक्षमापन को आपकी राजीनामा हो चुका
है। अतः इस प्रार्थना पत्र को अगले

कवि ना
पक्षमापन
दिनांक



चलाया जाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को
इसी तरह विद्युत करना चाहते हैं। विद्युत
को अगुमारी प्रदान करें। प्रार्थना पत्र पर
सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है। प्रार्थना को प्रार्थना पत्र स्वीकार
इसी तरह पर विद्युत करके अगुमारी ही
जारी है। प्रार्थना की पहचान उनके
अधिवक्ता श्री राजेश भास्कर दास की
गरी।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र इसी तरह
पर विद्युत कर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना
वक्ता से मजहूर होकर साबित इफ्तार है।

h